

सम्मिलित भू-वैज्ञानिक और भूविज्ञानी परीक्षा, 2019
अनुशंसा विवरण और कट-ऑफ अंक
(श्रेणी-वार)

भू-विज्ञानी

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्ति	अनुशंसित बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले]	लिखित चरण में न्यूनतम अर्हता मानक* (700 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (900 में से)
1.	सामान्य	20	शून्य	19@	19 [सामान्य मानक पर 01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं 01 अ.पि.व. सहित]	244	377
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	05	शून्य	05	05	218	326
3.	अ.पि.व.	00	02\$	00	00	---	---
4.	अनु.जा.	13	शून्य	13	13	182	310
5.	अनु.ज.जा	12	शून्य	12	12	145	276
	कुल	50	02	49	49		
बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार							
क.	बेंचमार्क विकलांगता -1	02	01 [अ.पि.व.]	01		136	236
ख.	बेंचमार्क विकलांगता -3	01	01 [अ.पि.व.]	शून्य		131	251
	कुल	03	02	01			

* गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में से प्रत्येक में न्यूनतम 15% अंकों और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में प्रत्येक में न्यूनतम 10% अंकों के अध्यधीन।

@ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36035/02/2017- स्था. (आरक्षण) के नियम-8 के उप-नियम- 8.1 के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता -1 वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 01 रिक्ति को नहीं भरा गया है।

\$ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36035/02/2017- स्था. (आरक्षण) के नियम-9 के उप-नियम- 9.1 के संदर्भ में 02 बेंचमार्क विकलांगता वाले अ.पि.व. [01 बेंचमार्क विकलांगता -1 और 01 बेंचमार्क विकलांगता -3] अनुशंसित उम्मीदवारों को, अ.पि.व श्रेणी के लिए आरक्षित अगली 02 उपलब्ध रिक्तियों पर, भविष्य में समायोजित किया जाएगा।

कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी

क्रम सं	श्रेणी	रिक्ति	अनुशंसित बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले]	लिखित चरण में न्यूनतम अर्हता मानक* (700 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (900 में से)
1.	सामान्य	01	02 [01+01@]	00	00	285	---
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	शून्य	00	00	---	---
3.	अ.पि.व.	01	शून्य	01	01	259	385
4.	अनु.जा.	01	01	00	00	236	---
5.	अनु.ज.जा	00	शून्य	00	00	---	---
	कुल	03	03	01	01		
बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार							
क.	बेंचमार्क विकलांगता -1	01	01 [सामान्य]	00		133	330
ख.	बेंचमार्क विकलांगता -2	01	01 [अनु.जा.]	00		143	255
ग.	बेंचमार्क विकलांगता - 4 एवं 5	01	01 [बेंचमार्क विकलांगता - 1\$] [सामान्य]	00		---	270
	कुल	03	03	00			

* गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में से प्रत्येक में न्यूनतम 15% अंकों और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में प्रत्येक में न्यूनतम 10% अंकों के अध्यक्षीन।

@ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36035/02/2017- स्था. (आरक्षण) के नियम-9 के उप-नियम- 9.1 के संदर्भ में 01 बेंचमार्क विकलांगता -1 वाले [सामान्य] अनुशंसित उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के लिए अगली उपलब्ध रिक्ति पर भविष्य में समायोजित किया जाएगा।

\$ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36035/02/2017- स्था. (आरक्षण) के नियम-8 के उप-नियम-8.5 के अनुसार अदला-बदली करने के बाद बेंचमार्क विकलांगता -4 एवं 5 वाले उम्मीदवार के लिए आरक्षित 01 रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता -1 वाले उम्मीदवार द्वारा भरी गई है।

भू-भौतिक विज्ञानी

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्ति	अनुशंसित बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले]	लिखित चरण में न्यूनतम अर्हता मानक * (700 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (900 में से)
1.	सामान्य	08	शून्य	07@	07 [सामान्य मानक पर 02 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं 01 अ.पि.व. सहित]	194	342
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	शून्य	01	01	192	342
3.	अ.पि.व.	02	02	00	00	182	---
4.	अनु.जा.	02	शून्य	02	02	178	306
5.	अनु.ज.जा	01	शून्य	01	01	141	254
	कुल	14	02	11	11		
बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों							
क.	बेंचमार्क विकलांगता -1	02	02 [अ.पि.व.]	00		111	203
ख.	बेंचमार्क विकलांगता -3	01	शून्य	01		---	---
	कुल	03	02	01			

* गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में से प्रत्येक में न्यूनतम 15% अंकों और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में प्रत्येक में न्यूनतम 10% अंकों के अध्यधीन।

@ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36035/02/2017- स्था. (आरक्षण) के नियम-8 के उप-नियम- 8.1 के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता -3 वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 01 रिक्ति को नहीं भरा गया है।

रसायन-विज्ञानी

क्रम सं	श्रेणी	रिक्ति	अनुशंसित बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले]	लिखित चरण में न्यूनतम अर्हता मानक * (700 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (900 में से)
1.	सामान्य	09	01	08	08 [सामान्य मानक पर 01 अ.पि.व. सहित]	353	511
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	शून्य	01	01	331	468
3.	अ.पि.व.	01	शून्य	01	01	333	509
4.	अनु.जा.	02	शून्य	02	02	322	426
5.	अनु.ज.जा	02	शून्य	02	02	182	324
	कुल	15	01	14	14		
बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार							
क.	बेंचमार्क विकलांगता -3	01	01 [बेंचमार्क विकलांगता - 1 ^१] [सामान्य]	00		145	398
	कुल	01	01	00			

* गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में से प्रत्येक में न्यूनतम 15% अंकों और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए चार पेपरों में प्रत्येक में न्यूनतम 10% अंकों के अध्यक्षीन।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय जापन सं 36035/02/2017- स्था. (आरक्षण) के नियम-8 के उप-नियम-8.5 के अनुसार अदला-बदली करने के बाद बेंचमार्क विकलांगता -3 वाले उम्मीदवार के लिए आरक्षित 01 रिक्ति को बेंचमार्क विकलांगता -1 वाले उम्मीदवार द्वारा भरा गया है।

टाई का सिद्धांत

जहां कहीं दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने सम्मिलित भू-वैज्ञानिक और भू-विज्ञानी परीक्षा, 2019 में बराबर अंक प्राप्त किए हैं, वहां टाई के मामलों का समाधान आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है:

- (i) अंतिम तौर पर अधिक प्राप्तांक वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाएगा।
- (ii) यदि अंतिम तौर पर कुल प्राप्तांक बराबर हैं, तो भू-विज्ञान/भू-भौतिकी/रसायन विज्ञान/जल भू-विज्ञान पेपर सहित व्यक्तित्व परीक्षण में कुल मिलाकर अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाएगा।
- (iii) यदि भू-विज्ञान/भू-भौतिकी/रसायन विज्ञान/जल भू-विज्ञान पेपर और व्यक्तित्व परीक्षण के कुल अंक भी बराबर हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाएगा।